सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 18.01.2025

5,000 – 5,000/- रुपये के इनामिया गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से 01 मोटर साइकिल (चोरी की), 03 तमंचा 315 बोर, 03 खोखा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 मोबाइल फोन किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं इनामिया/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 18.01.2025 की रात्रि को थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत छिमारा तिराहा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान नगला बरी की ओर से 01 मोटर साइकिल आती हुयी दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर मोटर साइकिल मोड़ कर जसवंतनगर जाने वाली रोड पर भागने लगे। जरिये दूरभाष सेकेन्ड मोबाइल को सूचित किया गया। मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा दोनों ओर से स्वयं को पुलिस टीमों से घिरता देख जान से मारने की नियत से पुनः पुलिस टीम पर 02 राउण्ड फायर किये गये। जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करते हुये आवश्यक बल प्रयोग कर **03 अभियुक्तों को रायनगर तिराहे के पास से समय 02.25 बजे सुबह** गिरफ्तार किया गया।

नोट:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा मु0अ0सं0 01/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में उक्त तीनों अभियुक्तों पर 5,000 – 5,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 03 तमंचा 315 बोर, 04 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। पुलिस टीम द्वारा बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में कडाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हमने यह मोटर साइकिल जनपद फरुर्खाबाद से चोरी की है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पप्पू उर्फ सरताज पुत्र अमीर अहमद निवासी ग्राम दईपुर भवानीपुर थाना चोलापुर जनपद बनारस **उम्र करीब 32 वर्ष।**
2. शकील अंसारी पुत्र सलामत अंसारी निवासी धरसोना थाना चोलापुर जनपद बनारस हाल पता ग्राम दईपुर भवानीपुर थाना चोलापुर जनपद बनारस **उम्र करीब 24 वर्ष।**
3. दीपक पुत्र दीना निवासी ग्राम महदा थाना चोलापुर जनपद बनारस **उम्र करीब 23 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 05/2025 धारा 109 (पु0मु0)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त पप्पू उर्फ शरताज अहमद पुत्र अमीर अहमद

1. मु0अ0स0 63/2024 धारा 136(1)/137 विधुत अधि0 थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
2. मु0अ0स0 64/2024 धारा 136(1)/137 विधुत अधि0 थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
3. मु0अ0स0 65/2024 धारा 109 बीएनएस पु0मु0 व धारा 313 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा इटावा।
4. मु0अ0स0 01/2025 धारा 3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 05/2025 धारा 109(पुलिस मुठभेड़) /317(2)BNS व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

अभियुक्त शकील अंसारी पुत्र सलामत अंसारी

1. मु0अ0स0 63/2024 धारा 136(1)/137 विधुत अधि0 थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
2. मु0अ0स0 64/2024 धारा 136(1)/137 विधुत अधि0 थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
3. मु0अ0स0 65/2024 धारा 109 बीएनएस पु0मु0 व धारा 313 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
4. मु0अ0स0 01/2025 धारा 3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 05/2025 धारा 109(पुलिस मुठभेड़) /317(2)BNS व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

अभियुक्त दीपक पुत्र दीना

1. मु0अ0स0 63/2024 धारा 136(1)/137 विधुत अधि0 थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
2. मु0अ0स0 64/2024 धारा 136(1)/137 विधुत अधि0 थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
3. मु0अ0स0 65/2024 धारा 109 बीएनएस पु0मु0 व धारा 313 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
4. मु0अ0स0 01/2025 धारा 3(1) गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 05/2025 धारा 109(पुलिस मुठभेड़) /317(2)BNS व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 03 तमंचा 315 बोर
2. 03 खोखा 315 बोर
3. 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 02 मोबाइल फोन
5. 01 मोटर साइकिल TVS रेडीअन **(जनपद फरुर्खाबाद से चोरी)**

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री विपिन मलिक थानाध्यक्ष वैदपुरा, उ0नि0 सुबोध सहाय, उ0नि0 प्रेमबाबू, हे0का0 आविद खाँ, का0 उमेश कटारा, का0 जॉनी, का0 विपिन कुमार, का0 अनुज, का0 विक्रांत, का0 रजत कुमार, का0 अंकित कुमार, का0 सुनील कुमार, का0 धर्मेन्द्र कुमार,का0 पंकज कुमार, चालक का0 चिन्टू धामा, ।

नोट – उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साह वर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 10,000/- रुपये से पुरस्कृत किया गया।